। नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । बुधवार, 11 जनवरी 2017

सिकॉम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नं. 4, गुरू हरगोविंदजी रोड,
(अंधेरी-घाटकोपर लिंक रोड),चकाला, अंधेरी (पूर्व) मुंबई-400 093
टेली: 022-6657 2700 वेबसाइट: www.sicomindia.com

सार्वजनिक नीलामी तथा बिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरी, जो सिकॉम लिमिटेड (सिकॉम) के प्राधिकृत अधिकारी हैं, वे वित्तीय अस्ति प्रतिभूतिकरण एवम् पुनर्गठन और प्रवर्तन हित सुरक्षा अधिनियम 2002 (एसएआरएफएईएसई) के तहत निम्नलिखित संपत्ति से अपना बकाया प्राप्त करने के हेतु **"यथास्थान, यथास्थिति और साधन रहित"** रूप में **दि. 16 फरवरी, 2017 को दोपहर 2.00 बजे** सिकॉम के मुंबई कार्यालय में सार्वजनिक नीलामी करने के हेतु इच्छुक पक्षों से देकार आमंत्रित कर रहे हैं। उक्त संपत्ति का प्रत्यक्ष कब्जा मिलने का उप आयुक्त, गुरुग्राम का आदेश सिकॉम को प्राप्त हुआ है।

कर्ज़दार/ गैरेन्टर का नाम	मालिक का नाम	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	अग्रिम जमा राशि	सिकॉम का बकाया ब्याज तथा शुल्क दि. 31.12.2016 तक
एमव्हीएल लि. (कर्ज़धारक)	एमव्हीएल क्रेडिट होल्डिंग्ज अँड लिज़िंग लिमिटेड	सेक्टर 15 (II), 32 वें मील पत्थर के पास, राजस्व गाँव सिलोखारा, तहसिल तथा जिला गुरगाँव, हरयाणा स्थित एमएलव्ही आई पार्क की संपूर्ण 1 ली मंज़िल जिसका सुपर बिल्ट अप क्षेत्र 23987.802 वर्ग फीट तथा बिल्ट अप क्षेत्र 15991.868 वर्ग फीट है।	रु. 26.50 करोड़	रु. 3 करोड़	रु. 62,84,71,694.

नीलामी के नियम व शर्तें:

1. नीलामी में हिस्सा लेने के लिये, दिलचस्पी रखने वाले आवेदकों को सिकॉम लिमिटेड के मुंबई में देय राष्ट्रीयकृत बैंक के पक्ष में जारी मुंबई में देय राष्ट्रीयकृत बैंक के डीडी/पे आर्डर के माध्यम से अग्रिम राशि के तौर पर रु. 3 करोड़ की राशि का भुगतान करना होगा, जो कि बोली के सफल न होने पर / सिकॉम से अस्वीकार होने पर वापस कर दी जायेगी।
2. जिन बोलिओं के साथ पर्याप्त अग्रीम जमा राशि डीडी / पे आर्डर के साथ ना होगी उनको रद्द माना जाएगा तथा ऐसे निविदाकारों को निविदा प्रक्रिया में सहभागी नहीं किया जाएगा।
3. उच्चतम बोलिकर्ता तथा द्वितिय उच्चतम बोलिकर्ताओं को आगे की प्रक्रिया के हेतु सुरक्षित रखा जाएगा तथा अनुवर्ति उच्चतम बोलिकर्ताओं की अग्रीम ज़मा राशि नीलामी के बाद कौटा की जाएगी। बोलि रु. 1 लाख की राशि के गुणक में बढ़ेंगे।
4. संपत्तियाँ उपर्युक्त आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेची जायेंगी।
5. संपत्तियों को **''यथास्थान, यथास्थिति और साधन रहित''** आधार पर बेचा जा रहा है।
6. नीलामी की बिक्री, बिक्री के सामान्य नियमों व शर्तों के अनुसार होगी, जिसकी प्रति आवेदक सिकॉम लिमिटेड, दिल्ली कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं. आवेदक द्वारा इसकी प्रति न ली जाने पर भी माना जायेगा कि आवेदक ने इसे लिया, पढ़ा, जाँचा और स्वीकार किया है।
7. सफल आवेदक कानून के अनुसार हस्तांतरण के लिये लागू स्टैम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क, वकील के शुल्क, सोसायटी शुल्क और सभी अन्य कानूनन शुल्कों तथा खर्च का भुगतान करेगा।
8. प्राधिकृत अधिकारी की जानकारी और सूचना में इन संपत्तियों पर कोई भी अन्य ऋणभार नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी बेची जा रही संपत्ति के संबंध में किसी अन्य शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, संपत्ति कर या अन्य व्यक्ति की किसी भी बकाया राशि के भुगतान के लिये ज़िम्मेदार नहीं होंगे।
9. प्राधिकृत अधिकारी को कोई भी कारण बताये बिना बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा नीलामी को रोकने /स्थगित करने का पूरा अधिकार होगा।
10. बिक्री सिकॉम की पुष्टि के अधीन है।
11. संपत्तियों की जाँच **24 जनवरी, 2017 तथा 30 जनवरी 2017 को सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे (दोनों दिन)** के बीच अनुमती के पश्चात की जा सकती है।
12. प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि और समय सीमा **16 फरवरी, 2017 को दोपहर 1.00 बजे** तक है। (मुंबई में सिकॉम के कार्यालय में)
13. सबसे ऊंची बोली की स्वीकृति सिकॉम लिमिटेड की सहमति के अधीन होगी.
14. यह SARFAESI अधिनियम और इसके अधीनस्थ नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त ऋण खाते के कर्ज़दारों/गैरेन्टर के लिये भी नीलामी बिक्री के आयोजन की सूचना है।
15. प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त हुई बोलियाँ **16 फरवरी, 2017 को दोपहर 2.00 बजे** खोली जायेंगी (मुंबई में सिकॉम के कार्यालय में)। आवेदकों को उनकी बोलियाँ बढ़ाने का मौका दिया जायेगा।

अधिक जानकारी तथा नियमों व शर्तों के लिये कृपया संपर्क करें

1) संजय कुमार - टेली: (011) 2373 6738
मोबाइल नं. 9868020160

2) ललित गंगवार - टेली: (022) 6657 2792
मोबाइल नं. 09930682451

3) शत्रुघ्न कालावर - टेली: (022) 6657 2853
मोबाइल नं. 09869900073

कर्ज़दार/गैरेन्टर के लिये सूचना

यह सूचना उपर्युक्त खाते के कर्ज़दार/गैरेन्टर के लिये भी है. कृपया ध्यान दें कि आपने सिकॉम द्वारा दी गयी उपर्युक्त अग्रिम राशि के संबंध में बकाया राशियों और मासिक किरायों के साथ ब्याज, खर्च और शुल्कों के भुगतान में गड़बड़ी की है। इसलिये सिकॉम ने आपको धारा 13(2) के तहत 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिये मांग सूचना जारी की थी। आप 60 दिनों की समाप्ति के बाद भी भुगतान नहीं कर पाये हैं। इसलिये **14 जनवरी 2016** को प्राधिकृत अधिकारी ने उपर्युक्त खाते में प्रत्याभूत आस्तियों पर सांकेतिक आधिपत्य को प्राप्त किया। उक्त संपत्ति का प्रत्यक्ष कब्जा मिलने का उप आयुक्त, गुरुग्राम का आदेश सिकॉम को प्राप्त हुआ है।

आपको बिक्री की तिथि से पहले उपर्युक्त राशि के भुगतान के लिये सूचित किया जाता है, जिसके अभाव में संपति को बेच दिया जायेगा और कोई बकाया राशि शेष रहने पर ब्याज और खर्च के साथ आपसे ली जायेगी। कृपया ध्यान दें कि मांग सूचना, आधिपत्य मूल्यांकन और बिक्री इत्यादि के सभी खर्च पहले अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक रूप में प्राप्त होने वाली बिक्री से प्राप्त राशि से काटे जाने के बाद, बिक्री की राशि की बाकी रकम आपके उपर्युक्त ऋणभार में समायोजित कर दी जायेगी। आप अग्रिम राशि जमा करके होने वाली नीलामी की नियमों व शर्तों के अनुसार इसमें हिस्सा ले सकते हैं।

स्थान: मुंबई
दिनांक: 11.01.2017

हस्ताक्षरी/-
प्राधिकृत अधिकारी, सिकॉम लिमिटेड